



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या- 1105/2026/353/22-2-2026-17(19)/2026
लखनऊ: दिनांक: 20 अगस्त, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर 2(घ) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत महिला दिवस, 2026 (08 मार्च, 2026) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी भोला शंकर द्विवेदी (कैदी संख्या-29645) पुत्र श्री राजाराम द्विवेदी, निवासी-बहादुरपुर खंजरी, थाना-आरौस, जिला-उन्नाव, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-194, 195/2014 में धारा-302/34 आई.पी.सी व 3/25 ए०एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-09, हरदोई के आदेश दिनांक 12.05.2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में लम्बित है। बन्दी द्वारा दिनांक 08.03.2026 तक अपरिहार 12 वर्ष, 02 माह, 04 दिन एवं 14 वर्ष, 26 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण सन्तोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रुपये 50000/- (रुपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1105/2026/353(1)/22-2-2026 एवं तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
- 3- पुलिस अधीक्षक, उन्नाव।
- 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़।
- 5- निजी सचिव, मा० मंत्री/मा० राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० शासन को मा० मंत्री जी के सूचनार्थ
- 6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।